

प्रेस नोट थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर दिनांक 16.04.2024

01 अदद अवैध देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जाने रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष उरुवा बाजार के नेतृत्व में व0उ0नि0 कविन्द्रनाथ सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर अभियुक्त नीरज राय उर्फ विवेक राय पुत्र अमरनाथ राय निवासी टड़वा श्रीराम थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर को 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय मु0अ0सं0 54/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

नीरज राय उर्फ विवेक राय पुत्र अमरनाथ राय निवासी टड़वा श्रीराम थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर
अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 54/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 53/2024 धारा 504,506 भा0द0सं0 थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार की टीम-

1. व0उ0नि0 कविन्द्रनाथ सिंह थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर
2. कां0 दीपक यादव थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर